

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग रॉची,  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक: ०३/०९/२०२०

विषय :— वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग झारखण्ड के अन्तर्गत लघु सिंचाई प्रमण्डल, रॉची को बरहे लुण्डरी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण कार्य हेतु कुल रु 1.40 लाख (रूपये एक लाख चालीस हजार ) मात्र निधि का आवंटन के संबंध में।

प्रसंग :— प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या—३६/ १५-१६ प्र.र्वी. दिनांक —२६.११.२०१५ Online AA- 1902/03-12-2015  
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4702—लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :—

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	50—जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702— लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/ 19—नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण।	45—निर्माण/ 45—निर्माण कार्य विपत्र कोड— 50S470200796190545	1.40 (लाख रु)

आवंटित राशि —रूपये एक लाख चालीस हजार मात्र।

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय निम्न वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमण्डल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा:—  
(राशि लाख रु. में)

क्र०	प्रमण्डल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति/एकरानामा की राशि	मार्च 2020 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9)	On-line Allotment Access No
						पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	लघु सिंचाई प्रमण्डल, रॉची (RNCMIR001)	लघु सिंचाई रॉची	बरहे लुण्डरी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण	141.121 137.430	130.702	0.00	1.40	1.40	132.102	41218

- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध राशि रु 2520.00 लाख (पच्चीस करोड़ बीस लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- उक्त बजट शीर्ष से आवंटित राशि योजना—सह—वित विभाग (वित प्रभाग) के पत्रांक—1254 दिनांक—२०.०७.२०२० द्वारा कोषागार से निकासी हेतु अनुमान्य अधिसीमा, जो बजटीय उपबंध का 10% (दस प्रतिशत) है, के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 एवं 2747/वि., दिनांक—१९.०९.२०१६ के आलोक में होंगा।
- आवंटित राशि का व्यय नियमानुसार स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- यह राशि WP(C) No.- 7287/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय—निर्णय के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रॉची द्वारा पारित तारीक आदेश के आलोक में आवंटित की जा रही है।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि०)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
9. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
10. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
11. आवंटित राशि का व्यय अन्य मद में नहीं किया जाय।
12. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में होगी।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट :** आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no उपर्युक्त कंडिका-2 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 09

राँची, दिनांक :- 03/09/2020  
**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 09

राँची, दिनांक :- 03/09/2020  
**प्रतिलिपि :-** अपर सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ मुख्य अभियंता (मो.) राँची/ संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/अवर सचिव, प्रशास्त्रा-7/ सांखियकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास )  
संयुक्त सचिव(अभि)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव